लाला बनाम सज्जनखान वगेरह, अपील संख्या 2018/00080, आदेश दिनांक 13.06.2018

पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र हेतु पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर बहस अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01(प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता) ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 119/2017 बउनवान लाला वगैरह बनाम सज्जन खान वगैरह में वादीगण/अपीलांटस ने स्वंय उपस्थित होकर उक्त वाद की कार्यवाही को ड्रोप कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.05.2018 को वाद की कार्यवाही ड्रोप करने के आदेश पारित करते हुए, वाद का निस्तारण कर दिया हैं। चुॅकि यह अपील 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई, जो सारहीन हो चुकी हैं इसलिए खारिज फरमायी जावें।

अभिभाषक अपीलांट ने जवाब प्रार्थना पत्र में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विचाराधीन वाद का दिनांक 25.05. 2018 को निस्तारण कर दिया गया इसलिए अपील सारहीन हो चुकी हैं इसलिए खारिज फरमायी जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवम् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अपील को अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद का दिनांक 25.5.2018 को निस्तारण हो चुका हैं चूॅकि यह अपील 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की हैं, जो सारहीन हो चुकी हैं इसलिए खारिज योगय हैं।

अतः अपील अपीलांटस सारहीन होने से खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।